गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
15.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल
2. डॉ0 बी.आर. रावटे

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर विश्वविद्यालय के विकास में भागीदार बनने प्रेरित किया तथा विश्वविद्यालय के आगामी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.02.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.02.2023 के कार्यवृत्त में निम्नानुसार संशोधन के साथ सम्पुष्टि की जाय–

विषय क्रमांक–7 के अधीन लिये गये निर्णय में महिलाओं के लिए शुल्क में छूट प्रदान करते हुए निम्नानुसार शुल्क रखा जाय –

S.N.	Positions	Application Fee
1.	Teaching (UR/EWS/OBC Candidates)	Rs.2500/-
2.	Teaching (SC/ST/PWD Candidates & Female Candidates)	Rs. 1000/-
3.	Non Teaching, Group A (UR/ EWS/OBC Candidates)	Rs. 2,500/-
4.	Non Teaching, Group A (SC/ST/PWD Candidates & Female Candidates)	Rs. 1,000/-
5.	Non Teaching, Group B & C (UR/ EWS/ OBC Candidates)	Rs. 500/-
6.	Non Teaching, Group B & C (SC/ST/PWD Candidates & Female Candidates)	Free

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.02.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.02.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 03 **दशम् दीक्षांत समारोह दिनांक 15.03.2023 के स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता एवं पीएच.डी. शोधार्थी छात्र/छात्राओं से रूपये 300/– पंजीयन शुल्क (Not refundable) जमा कराये जाने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि दशम् दीक्षांत समारोह के स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता एवं पीएच.डी. शोधार्थी छात्र/छात्राओं से रूपये 300/– पंजीयन शुल्क (Not refundable) जमा कराये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04 **Draft Adjunct Faculty/Visiting Guideline के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि Adjunct Faculty नियुक्त किये जाने संबंधी अध्यादेश क्रमांक–51 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.11.2022 में शोध वर्क, पेटेंट, अंतिम शोध कार्य का प्रकाशन एवं उनसे प्राप्त डाटा/जानकारियों का प्रत्यायन एवं रैंकिंग में उपयोग किये जाने हेतु ड्राफ्ट पॉलिसी के निर्धारण पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.11.2022 में शोध वर्क, पेटेंट, अंतिम शोध कार्य का प्रकाशन एवं उनसे प्राप्त डाटा/जानकारियों का प्रत्यायन एवं रैंकिंग में उपयोग किये जाने हेतु प्रस्तुत ड्राफ्ट पॉलिसी का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समर्थ पोर्टल पर जानकारी अपलोड कराने विश्वविद्यालय का समर्थ प्रकोष्ठ आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा एवं शिक्षकों के सहयोग हेतु वालेन्टियर की संख्या बढ़ाकर शिक्षकों को जानकारी अपलोड कराने प्रेरित करेगा।

विषय क्र. 06 **विश्वविद्यालय में दानदाता पदक के लिये कायिक निधि स्थापना संबंधी प्रावधानों पर पुनर्विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में दानदाता पदक के लिये कायिक निधि स्थापना संबंधी प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक–30 में संशोधन का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पुरस्कार हेतु निर्धारित न्यूनतम कायिक निधि 03 लाख रूपये रखा जाय तथा गणना में For Higher Amount उल्लेखित कर दिया जाय।

06/03/2023

06/03/23

विषय क्र. 07 मानद उपाधि संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने संबंधी।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि मानद उपाधि प्रदान करने संबंधी प्रस्तावित विनियम प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 08 इतिहास विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 06.02.2023 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि इतिहास विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 06.02.2023 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 09 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Trivitron healthcare Pvt. Ltd. Chennai के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Trivitron healthcare Pvt. Ltd. Chennai के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 10 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Institute of Forest Productivity, Ranchi, India के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Institute of Forest Productivity, Ranchi, India के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 11 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Institute of Advanced Studies in Education, Bilaspur (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Institute of Advanced Studies in Education, Bilaspur (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 12 गणित विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 25.02.2023 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गणित विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 25.02.2023 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.1 विश्वविद्यालय का दसवां दीक्षांत समारोह दिनांक 15.03.2023 को आयोजित होना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। कार्यक्रम स्थगन संबंधी सूचना विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने ग्रहण की।

06/03/2023

06/03/23

अ.अ.वि.क्र.2 विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में संधारित प्रयोगशाला उपकरणों के रख–रखाव पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे उपकरण जिनका शोध कार्यों में उपयोग हो सकता है तथा जिन्हें वर्तमान में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे उपकरणों को सुधरवानें के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय। उपकरण सुधार हेतु आवश्यक धनराशि वित्त शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वविद्यालय के उपकरणों को शोध कार्यों में उपयोग में लाये जाने के लिए केन्द्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित कर शोधार्थियों से शुल्क जमा कराकर उपकरण उपयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

अ.अ.वि.क्र.3 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में से ऐसे विभाग जहां प्रयोगशालाओं में रसायन एवं ग्लास वेयर का उपयोग होता है। ऐसे विभागों को रसायन एवं ग्लास वेयर क्रय करने के लिए धनराशि आबंटित कर दी जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के ऐसे विभाग जहां प्रयोगशाला नहीं है अथवा रसायनिक प्रयोग नहीं होते है ऐसे विभागों को भी विभागीय आवश्यकतानुसार कंज्यूमेबल क्रय करने के लिए धनराशि आबंटित कर दी जाय।

अ.अ.वि.क्र.4 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ में एक क्रेडिट का विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ से प्राप्त प्रस्तावानुसार एक क्रेडिट पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाय।

अ.अ.वि.क्र.5 विश्वविद्यालय के परिसर में बनाये गये नवीन भवनों जहां इंटरनेट/वाई–फाई की सुविधा नहीं है, ऐसे भवनों में इंटरनेट/वाई–फाई लगवाये जाने का कार्य रेल–टेल के माध्यम से विश्वविद्यालय के ग्रंथपाल सम्पन्न करायेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

06/03/23	06/03/2023
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव	**कुलपति/अध्यक्ष**